

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 20/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 123(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 116 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 2nd February, 2018**No. 20/2018-Customs**

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 116 of the Finance Act, 1999 (27 of 1999), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the additional duty of customs on the goods specified in the Second Schedule to the said Finance Act.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 21/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 124(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित, वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110, जो अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त अधिनियम में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखती है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अन्तर्गत आने वाले मोटर स्पिरिट, सामान्य रूप से ज्ञात पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल ऑयल, का जब उसका भारत में आयात किया जाए तो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमा शुल्क से, जो वित्त विधेयक, 2018 के उपरोक्त खंड 110 के अधीन मोटर स्पिरिट, सामान्य रूप से ज्ञात पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) के समतुल्य हो, छूट देती है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 2nd February, 2018**No. 21/2018-Customs**

G.S.R. 124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with clause 110 of the Finance Bill, 2018 (4 of 2018), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Act under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil, falling under heading 2710 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the additional duty of customs leviable thereon under sub-

section (1) of section 3 of the said Customs Tariff Act, as is equivalent to the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable on motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil under the aforesaid clause 110 of the Finance Bill, 2018.

[F. No. 334/04/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 22/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 125(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 798 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

- (i) क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "15%" रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं. 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (iii) क्रम सं. 7 के सामने, स्तंभ (3) में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) चार्जर या एडाप्टर, मुद्रित परिपथ बोर्ड संयोजन (पीसीबीए) (टैरिफ मद 8504 90 90 के अधीन आने वाले) और ढली हुई प्लास्टिक (टैरिफ मद 3926 90 99 या 8504 90 90 के अधीन आने वाले) को छोड़कर" ;

- (iv) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7क.	3926 90 99 8504 90 90	सैलुलर मोबाइल फोन के ढली हुई प्लास्टिक के चार्जर या एडाप्टर	10%	-	-
"7ख.	कोई अध्याय	सैलुलर मोबाइल फोन के चार्जर या एडाप्टर के विनिर्माण में प्रयोग के लिए निर्माण के लिए निम्नलिखित इनपुट या पुर्जे, अर्थात् :- (i) मुद्रित परिपथ बोर्ड संयोजन (पीसीबीए) (टैरिफ मद 8504 90 90 के अधीन आने वाले) ; (ii) ढली हुई प्लास्टिक (टैरिफ मद 3926 90 99 या 8504 90 90 के अधीन आने वाले) ।	शून्य	-	1

- (v) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"9.	3919 90 90	सैलुलर मोबाइल फोन के पुर्जों या उप पुर्जों या उपसाधनों से भिन्न सभी माल, अर्थात् :- (i) ऊष्मा क्षय स्टीकर बैट्री कवर	10%	-	-